**संख्या-18/2016/ए-1-29ए0जी0/दस-2016-10(20)/2001**

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

**वित्त (लेखा) अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2016**

**विषय : ए0सी0 बिलों के माध्यम से आहरित धनराशि का डी0सी0 बिल प्रस्तुत कराकर अग्रिम आहरित धनराशि का समायोजन कराये जाने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-781/दस-2012-10(20)/2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए0सी0 बिलों के माध्यम से आहरित अग्रिम धनराशि के समायोजन के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-183 एवं 184 में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक माह के उपरान्त अग्रिम आहरित समस्त बिलों का सम्पूर्ण विवरण अंकित करते हुए डी0सी0 बिल के माध्यम से कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त इसको नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और यदि कोई नियंत्रक अधिकारी न हो तो माह के अन्त तक सीधे महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत डी0सी0 बिलों का वाउचर्स/सब-वाउचर्स से विस्तृत परीक्षण करने के उपरान्त बिल को हस्ताक्षरित करते हुए 03 माह के अन्दर महालेखाकार कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। समायोजन की कार्यवाही महालेखाकार द्वारा की जायेगी।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा अनेकों पत्रों के माध्यम से नियमित रूप से अवगत कराया जाता रहा है कि वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-183 एवं 184 में दी गई उक्त व्यवस्था का पालन आहरण-वितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में असमायोजित बिल पड़े हैं। यह एक वित्तीय अनियमितता है।

3- अत: अपने अधीनस्थ समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि सभी अग्रिम आहरित बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के अन्दर सुनिश्चित किया जाय तथा कोई भी बिल असमायोजित न रह जाय। यह भी उल्लेखनीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

है कि महालेखाकार कार्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या-टी0-एम0-।।/ग्रुप-iv/ए0सी0 बिल/15718, दिनांक 03-06-2016 में यह अवगत कराया गया है कि असमायोजित ए0सी0 बिलों की अद्यतन स्थिति (03/2016) महालेखाकार कार्यालय की वेबसाइट agup.nic.in पर होस्ट कर दी गयी है। किसी भी प्रकार की कठिनाई की स्थिति में महालेखाकार कार्यालय से सम्पर्क करके भी असमायोजित बिलों का विवरण प्राप्त कर समायोजन की कार्यवाही की जा सकती है। जिन आहरण-वितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों द्वारा उक्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, उसे वित्तीय अनियमितता माना जाये और उनके विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। कृपया अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों/नियंत्रक अधिकारियों से सम्बन्धित एक नियमित अन्तराल पर अग्रिम बिलों के समायोजन के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक भी करते रहा जाय, ताकि अग्रिम आहरित बिलों का ससमय समायोजन सुनिश्चित हो सके।

4- यह भी उचित होगा कि इस हेतु एक प्रपत्र भी निर्धारित कर दिया जाय। ताकि प्रतिमाह उस प्रपत्र पर समायोजन के सम्बन्ध में संकलित सूचना प्राप्त करके अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। कृपया कृत कार्यवाही से महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं वित्त विभाग को नियमित रूप से अवगत भी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

**संख्या-18/2016/ए-1-29ए0जी0(1)/दस-2016-10(20)/2001, तददिनांक ।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-टी0-एम0-।।/ग्रुप-iv/ए0सी0 बिल/15718, दिनांक 03-06-2016 के क्रम में।

(2) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद के उपर्युक्त पत्र दिनांक 03-06-2016 की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in